



## लाभ का पद: अर्थ व प्रावधान

संदर्भ

हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा लाभ का पद (Office of Profit) के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति से दिल्ली के वधायकों की सदस्यता रद्द करने की सफारिश किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति रामनाथ कोवदि ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के 20 वधायकों को अयोग्य करार दे दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय वर्तमान में नरिवाचति वधायकों की याचिका पर चुनाव आयोग की सफारिश के खिलाफ सुनवाई कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरवदि केजरीवाल द्वारा इन वधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया था, जो कएक लाभ का पद है। इस आलेख में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कलिाभ का पद क्या होता है और इससे संबंधति प्रावधान क्या हैं?

### लाभ का पद से तात्पर्य

- भारत के संविधान में अनुच्छेद 102(1)(a) तथा अनुच्छेद 191(1)(a) में लाभ के पद का उल्लेख कया गया है, कतिु लाभ के पद को परभाषति नहीं कया गया है।
- अनुच्छेद 102(1)(a) के अंतर्गत संसद सदस्यों के लयि तथा अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य वधिानसभा के सदस्यों के लयि ऐसे कसिी अन्य पद पर को धारण करने की मनाही है जहाँ वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी तरह के सरकारी लाभ मलिते हों। इस तरह के लाभ की मात्रा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- अगर कोई सांसद/वधायक कसिी लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो संसद या संबंधति वधिानसभा में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कसिी भी वधायक द्वारा सरकार में ऐसे 'लाभ के पद' को हासलि नहीं कया जा सकता है जसिमें सरकारी भत्ते या अन्य शक्तयिँ मलिते हैं।
- जनप्रतनिधित्व कानून की धारा 9 (ए) में भी सांसदों व वधायकों को लाभ का पद धारण करने की मनाही है।

### लाभ का पद संबंधी प्रावधानों की आवश्यकता

- संविधान में इन प्रावधानों को शामिल करने का उद्देश्य नति नरिमाण के इन नकियाँ (संसद व वधिानमंडल) को कसिी भी तरह के दबाव से मुक्त रखना था। क्योँक अगर लाभ के पदों पर नयिकृत व्यक्ती वधिानसभा का भी सदस्य होगा, तो हो सकता है क वह अपने लाभ के लयि नरिणयों को प्रभावति करने का प्रयास करे।
- इसके पीछे मूल भावना यह है क नरिवाचति सदस्य के करत्तव्यों और हतिों के बीच कोई संघर्ष नहीं होना चाहयि।
- संविधान के अनुसार वधायिका सरकार को नयित्तरति करती है। इस नयित्तरण को कम करने के लयि वधायकों को खुश करने एवं लाभ पहुँचाने हेतु उन्हें लाभ के कुछ पद प्रदान कर दिए जाते हैं। इस प्रकार वधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तिके पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर कया जा सकता है।
- इस प्रकार लाभ का पद संबंधी प्रावधान संविधान में वर्णति - वधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तिके पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करने का ही एक प्रयास है।

### क्या कानून बनाकर लाभ के पद से छूट दी जा सकती है?

- संविधान, संसद/वधायिका को लाभ के कसिी भी पद को धारण करने वाले को छूट प्रदान करने हेतु कानून पारति करने की अनुमति प्रदान करता है।
- कानून के दायरे से कतिने पदों को छूट दी जा सकती है, इस पर कोई उपरी सीमा नहीं है। 2015 में नागालैंड वधिानसभा के सभी 60 वधायक सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए थे। जुलाई 2017 में नागालैंड के मुख्यमंत्री ने संसदीय सचिवों के रूप में 26 वधायकों की नयिकृती की। 70 सदस्यीय दिल्ली वधिानसभा में भी 21 वधायकों को संसदीय सचिवों के रूप में नयिकृत कया गया था।
- वर्तमान में नमिनलखिति प्रावधान सांसदों एवं वधायकों को लाभ के पद से छूट प्रदान करते हैं -
  - ◆ कसिी भी सांसद या वधायक के मंत्री पद को भारत सरकार या कसिी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कतिु संविधान में नरिदषित है क मुख्यमंत्री सहति मंत्रयिों की संख्या वधिानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% के भीतर होनी चाहयि (दिल्ली के मामले में 10%, जो वधायिका के साथ संघ राज्य क्षेत्र है)।
  - ◆ संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 भी कसिी सांसद या वधायक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति दिते हैं यदिकानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उनमुकृती दी गई है।
  - ◆ कई राज्य वधिानसभाओं ने कानून बनाकर कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर रखा है। पंजाब, हरयिणा, दिल्ली, राजस्थान आदिने कानून बनाकर संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से बाहर रखने के लयि कानून का नरिमाण कया है।
  - ◆ संसद ने भी संसद (अयोग्यता नवारण) अधनियम, 1959 अधनियमति कया है। जसिमें उन पदों की सूची दी गई है जनिहें लाभ के पद से बाहर रखा

गया है। संसद ने समय - समय पर इस सूची में वसितार भी किया है।

## न्यायपालिका व लाभ का पद

- लाभ के पद का संवधान में उल्लेख तो है कति इसे परभाषति नहीं किया गया है। वर्तमान में लाभ के पद के संदर्भ में भारत में कोई स्थापति प्रक्रिया नहीं है। न्यायालय ने समय - समय पर इस संदर्भ में अपने नरिणय में लाभ के पद के लयि कुछ कारकों का वर्णन किया है।
- 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई व्यक्तिलाभ के पद पर है या नहीं है इसके लयि उसकी नयिक्तसे संबंधति कुछ बढिओं का परीक्षण किया जाना चाहयि। इस नरिधारण में कई कारकों पर वचिर किया जाता है, जैसे -
  - ◆ क्या सरकार नयिक्त प्राधकिरी है?
  - ◆ क्या सरकार को नयिक्ता समाप्त करने की शक्ति है?
  - ◆ क्या सरकार उस पद से संबंधति पारशिरमकि को नरिधारति करती है?
  - ◆ पारशिरमकि का स्रोत क्या है? क्या पारशिरमकि को सरकार द्वारा दिया जाता है?
  - ◆ उस पद के करतव्य क्या हैं? उस पद को धारण करने वाला व्यक्त किसि प्रकार के कार्यों का नषिपादन करता है? क्या सरकार इन कार्यों के नषिपादन पर कसि भी प्रकार का नयितरण रखती है?

## संसदीय सचवि से संबंधति प्रावधान व उनकी वैधता

- संसदीय सचवि वधानमंडल का एक सदस्य होता है, जो अपने कार्यों द्वारा अपने से वरषिठ मंत्रियों की सहायता करता है। मूल रूप से इस पद के नरिमाण का उद्देश्य भावी मंत्रियों के प्रशकिषण के लयि किया गया था। परंतु माना जाता है कि संसदीय सचवि का पद मूल रूप से कार्यपालिका और वधायिका के बीच शक्ति-पृथक्करण के सदिधांत का उल्लंघन करता है।
- अनुच्छेद 239AA(4) के तहत संसदीय सचवि मंत्री नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनकी नयिक्ता राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, कति इन्हें मंत्री जैसी ही सुवधिाँ प्राप्त होती हैं।
- उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में संसदीय सचवियों के रूप में वधायकों की नयिक्ता को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने के कानूनों को न्यायपालिका ने अवैध घोषति किया है। जबकि अन्य पदों पर नयिक्ता को अवैध घोषति नहीं किया गया है। उसके बावजूद राज्य सरकारें दूसरे पदों पर नयिक्ता की बजाय संसदीय सचवियों के रूप में वधायकों की नयिक्ता क्यों करना चाहती हैं?
- 2015 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक फैसला देते समय कहा कि संसदीय सचवियों (जूनयिर मंत्री) के रूप में वधायकों की नयिक्ता किर सरकारें संवधान में वर्णति मंत्रियों की संख्या की सीमा को बाईपास करना चाहती हैं, जो कि गैर संवधानकि है।
- 2009 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि कैबिनेट मंत्री के पद और स्थिति के समान संसदीय सचवियों की नयिक्ता संवधान के अनुच्छेद 164 (1 ए) का उल्लंघन है।
- अनुच्छेद 164 (1 ए) नरिदषि करता है कि मुख्यमंत्री सहति मंत्रियों की संख्या वधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहयि।

## नषिकर्ष

यह चति का वषिय है कि इतनी बड़ी संख्या में (दिली में लगभग 40% एवं नागालैंड में लगभग 43%) वधायकों को ऐसे पदों पर (कार्यालयों में) नयिक्त किया जा रहा है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में वधायकों को ऐसे पदों पर नयिक्त किया जाएगा तो सरकार के काम पर नयितरण रखने की उनकी भूमिका प्रभावति हो सकती है। इस प्रकार, यह संवधान के अनुच्छेद 102 और 191 की भावना का उल्लंघन करने के साथ - साथ संवधान में उल्लेखति वधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के सदिधांत का भी उल्लंघन करता है। संसदीय सचवियों की नयिक्ता संवधान के अनुच्छेद 164 (1 ए) का भी उल्लंघन है।